राजस्थान सरकार

राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय

''डी'' ब्लॉक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक :715 जयपुर, दिनांक : 18.11.2010 22

परिपत्र

विषय :– राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय को वांछित सूचनायें उपलब्ध करवाये जाने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा राज्य की राजस्व प्राप्तियों के रिसाव की सम्भावनाओं को समाप्त करने की दृष्टि से राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय की स्थापना की गई है।

निदेशालय को विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त राजस्व रिसाव संबंधी सूचनाओं को, तथ्यात्मक स्थिति के विश्लेषण एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संबंधित विभागों को प्रेषित किया जाता है। राजस्व रिसाव संबंधी सूचनायें कई बार विभागों के अलावा निगमों, बोर्डो एवं विभिन्न स्वायत्तशाषी संस्थाओं से सम्बन्धित भी होती है।

राज्य सरकार के स्तर पर समीक्षा में पाया गया है कि निदेशालय द्वारा प्रेषित प्रकरणों पर संबंधित विभागों, निगमों, बोर्डो, स्वायत्तशाषी संस्थाओं आदि द्वारा समय पर कार्यवाही नही की जा रही है और न ही निदेशालय को वांछित सूचनायें समय पर प्रेषित की जा रही है। यह अत्यन्त गम्भीर स्थिति है एवं राजस्व रिसाव की सम्भावनाओं को रोकने में बाधक भी है।

समस्त विभागाध्यक्षों, निगमों, बोर्डो एवं स्वायत्तशाषी संस्थाओं के प्रमुखों एवं कार्यवाही आधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि राजस्व आसूचना निदेशालय से प्राप्त प्रकरणों पर उच्चतर प्राथमिकता देते हुए कार्यवाही की जावें।

(एस. अहमद)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्त प्रमुख निगम / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्था।
3. समस्त विभागाध्यक्ष।
4. समस्त कार्यकारी अधिकारी, निगम / बोर्ड / स्वायत्तशाषी संस्था।
5. रक्षित पत्रावली।

महानिदेशक
राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय